संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक–3/प.क./सेल–1/2014 /1044 भोपाल,दिनांक 01.12.2014

प्रति,

1. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक
   स्वास्थ्य सेवायें म.प्र.
2. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
   म.प्र.

विषयः– महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की नियमित नियुक्ति के संबंध में निर्देश।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि प्रदेश में ज़िलेवार एएनएम की स्वीकृत पद संख्या 10651 है, जबकि अधीनस्थ कार्यालयों से प्राप्त जानकारी अनुसार कार्यरत एएनएम की संख्या 10681 है। अर्थात वर्तमान में स्वीकृत संख्या से 30 एएनएम अधिक कार्यरत हैं। प्रदेश के 12 जिले क्रमशः सीहोर, बैतूल, झाबुआ, बड़वानी, जबलपुर, नरसिंहपुर, सीधी, उज्जैन, मंदसौर, नीमच, रतलाम, शाजापुर, आगर में कुल 262 एएनएम अतिशेष में है, जबकि अन्य जिलों में 232 एएनएम के पद रिक्त है। इस प्रकार अतिशेष एएनएम का रिक्त स्थानों पर समायोजन किया जाना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा ऑडिट की आपत्ति आ सकती है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ कार्यालयों से बार–बार जानकारी प्राप्त करने पर विरोधाभाषी जानकारी प्राप्त होती है, जबकि उतने पद जिले में स्वीकृत नहीं होते या पद स्वीकृत होते हुये भी सक्षम अधिकारी अपने स्तर से उन्हें अन्यत्र संलग्न कर देते है । परिणामस्वरूप सेक्टर में पद रिक्त दर्शाकर ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधायें प्रभावित न हो, का उल्लेख करते हुये नवीन नियुक्ति कर दी जाती है जो कि एक गंभीर अनुशासनहीनता एवं अनियमितता की परिधि में आता है। इसके अनेक उदाहरण प्रमुख सचिव स्वास्थ्य, स्वास्थ्य आयुक्त एवं संचालक के जिलों में भ्रमण के दौरान देखने को मिले है, जिससे उनके द्वारा त्वरित निर्णय लेते हुये संलग्नीकरण समाप्त कर मूल पदस्थापना स्थल पर पदस्थ करने के निर्देश दिये गये है। इसके अतिरिक्त संचालनालय स्तर से भी संलग्नीकरण समाप्त कर पैरामेडिकल स्टाफ को जहॉ पद स्वीकृत है वहीं पदस्थ किये जाने के निर्देश जारी किये गये है। किन्तु इसके उपरांत भी अनेक जिलों में शासन द्वारा स्वीकृत स्थान पर एएनएम की पदस्थापना न करते हुये अन्यत्र स्थान पर एएनएम का उनकी सुविधानुसार संलग्नीकरण किया गया है। जिसकी वजह से एएनएम की स्वीकृत पद संख्या बार–बार घटती बढ़ती दर्शाकर नवीन नियुक्तियां की जाती रहती हैं।

क्र.पृ.3

अतः उपरोक्त वर्णित स्थिति को ध्यान में रखते हुये निर्देशित किया जाता है कि आपके द्वारा नियमित एएनएम की नियुक्ति नही की जावे। नियमित एएनएम के रिक्त पदो की पूर्ति अतिशेष एएनएम से अथवा संविदा पर कार्यरत शासकीय संस्थाओं से उत्तीर्ण वरिष्ठ एएनएम से की जावेगी। वरिष्ठ प्रशिक्षित एएनएम के नियमित नियुक्ति आदेश संचालनालय के निर्देश पर आपके स्तर से जारी किये जायेगें। आपके जिले में कितने नियमित एएनएम के पद शासन द्वारा स्वीकृत हैं, शासन स्वीकृति के परिपेक्ष्य में रिक्त पद की जानकारी तथा उसके प्रमाण हेतु शासन स्वीकृति से संचालनालय को अवगत करावें। जिससे अतिशेष में कार्यरत एएनएम को अन्य जिलों से आपके जिलों में स्थानांतरित कर रिक्त पदों की पूर्ति करते हुये अतिशेष की स्थिति का समाधान किया जावेगा। उक्त निर्देश की अवहेलना होने पर आपको पूर्ण रूप से उत्तरदायी माना जावेगा। अतः इसे प्राथमिकता देवें।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित

1/12/14

संचालक परिवार कल्याण
मध्यप्रदेश

पृ0कमांक–3/प.क./सेल–1/2014 / भोपाल,दिनांक

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ प्रेषित ।

1. प्रमुख सचिव,मध्य प्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भोपाल।
2. स्वास्थ्य आयुक्त, स्थानीय कार्यालय।
3. मिशन संचालक,राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश भोपाल।
3 प्रभारी एम.आई.एस.शाखा स्थानीय कार्यालय की ओर उक्त निर्देश स्वास्थ्य विभाग की बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु।

संचालक परिवार कल्याण
मध्यप्रदेश